न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 259/2022 — दायर दिनाँक 01.07.2022

वादीगण
1. बदरूदीन पुत्र नाथुस्या, उम्र 65 वर्ष,
2. मदारी पुत्र नाथुस्या, उम्र 64 वर्ष,
3. समस्त जाति सांई, निवासी धनकोली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर

बनाम्

प्रतिवादीगण
1. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—
1. श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट, रणजीत बलारा एडवोकेट वादीगण।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 07.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम धनकोली में स्थित खेत खसरा संख्या 1188 रकबा 1.0700 हैक्टर, खसरा संख्या 1129 रकबा 0.0700 हैक्टर गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा संख्या 1130 रकबा 0.2600 हैक्टर, खसरा संख्या 1131 रकबा 0.9900 हैक्टर, खसरा संख्या 1132 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा संख्या 1133 रकबा 1.6100 हैक्टर, खसरा संख्या 1221/1669 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 40/1516 रकबा 0.0600 गैर मुमकिन रास्ता व खसरा संख्या 945/1660 रकबा 0.0100 हैक्टर राजस्थान सरकार के नाम से वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है। कुल खसरे 9 है, जिनका कुल रकबा 4.2400 हैक्टर बने है। जिनके पुराने खसरा संख्या 709 रकबा 17.09 बीघा, खसरा संख्या 710 रकबा 6.12 बीघा, खसरा संख्या 711 रकबा 7.02 बीघा, खसरा संख्या 712 रकबा 1.12 बीघा, खसरा संख्या 713 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 714 रकबा 9.14 बीघा है। जो तथ्य संवत् 2006 से 2076 की जमाबंदी में दर्ज है, नकल जमाबन्दी व खसरा मिलान पेश है। यह है कि राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व ही उक्त वाद के फिकरा संख्या 01 में वर्णित भूमियों में से खसरा संख्या 1133 रकबा 1.6100 हैक्टर में से उतरी पश्चिमी हिंस्से की 0.0160 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त वास्तविक एंव भौतिक रूप से वादीगण के पूर्वजो नाथुस्या पुत्र मंगलस्या का रहा है। तथा उनके स्वर्गवास के बाद नाथुस्या के पुत्र वादीगण का कब्जा काश्त रहा है। इस भूमि पर वादीगण के पिता नाथुस्या ने वर्ष 1965 में उक्त भूमि के उतरी पश्चिमी कोने में एक कमरे का निर्माण करवाया था, तथा वर्ष 1980 में वादी बदरूदीन ने भी उसके पास ही दो मकानो का निर्माण करवा लिया, जिसमें सपरिवार निवास करता है, तथा खसरा संख्या 1133 रकबा 1.6100 हैक्टर में से 0.080 हैक्टर पर वादी नम्बर 01 बदरूदीन का परिवार इन मकानो में रहने लग गया। तथा वादी बदरूदीन के चिपता ही .0080 हैक्टर में वादी नम्बर 02 मदारी ने वर्ष 1985 में तीन कमरे, रसोई व शोचालय का निर्माण कर लिया, जिस पर सपरिवार काबिज है तथा शेष भूमि पर काश्त करते है। तथा वादीगण ने उक्त भूमि में बिजली और पानी ने कनेक्शन ले रखे है, जो वर्षो से चले आ रहे है। उक्त भूमि पर पहले वादीगण के परिवार के गुलाबस्या पुत्र दीनास्या का कब्जा काश्त रहा तथा गुलाबस्या ने जरिये ईकरारनामा पुराने खसरा संख्या 714 में से आधा बीघा भूमि का बेचाण वादीगण के पिता नाथुस्या को कर दिया, तब से वादीगण का उक्त भूमि पर अबाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है, [illegible] के साथ पेश है, दिनॉक 28.08.1978 को वादीगण के पिता नाथुस्या [illegible] विभाग में 1465.87/रूपये वसुली के भी सरकार में [illegible] साबित है। तथा खसरा संख्या 1133 [illegible] 1.6100 हैक्टर में [illegible] 0.0160 हैक्टर भूमि पर शुरू से ही वादीगण [illegible] है, वादीगण के अलावा [illegible] भूमि पर कस्टोडियन विभाग या अन्य किसी का [illegible] हक अधिकार एंव कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

नहीं है, पुराने रेकर्ड में महकमा कस्टोडियन (राजस्थान सरकार) गलत रूप से दर्ज हुआ था, जो राजस्व कर्मचारियों के गलत अंकन के कारण दर्ज हो गया। जिसे वादीगण दुरूस्ती करवाकर पुराने कदीमी समय से वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि को वादीगण अपने नाम से घोषित करवाने के अधिकारी है। लेकिन वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में राजस्थान सरकार दर्ज होने के कारण समय समय पर काश्त के समय पटवारी हल्का व अन्य राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण को उसकी पैतृक भूमि से बेदखल करने की धमकियां देते है, तथा वादीगण के अधिकारो व हितो को चुनोती देने लगे है। तथा येन केन प्रकारेण वादीगण को उसकी भूमि से महरूम रखना चाहते है। जिस हेतु यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश है। वादीगण की उक्त कब्जा सुद भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में कस्टोडियन विभाग (राजस्थान सरकार) तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक (चालु पड़त) के स्थान पर वादीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के कानूनन हकदार है, जिस हेतु यह वाद राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करने बाबत पेश किया है। यह है कि वाद हेतुक तब उत्पन्न हुआ, जब माह मई 2022 में वादीगण अपने कब्जा काश्त की पैतृक भूमि खसरा संख्या 1133 में से रकबा 0.160 हैक्टर पर रहने व काश्त करने से राजस्व कर्मचारियों ने मना किया, जिसका की उनको कोई हक अधिकार नहीं है। क्योंकि उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों की भुल से महकमा कस्टोडियन (राजस्थान सरकार) के नाम से दर्ज कर दी गयी है। जबकि उक्त भूमि रिकॉर्ड असुद्वि के कारण राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुयी है, जो दुरूस्ती योग्य है, जबकि शुरू से लेकर आज तक कब्जा काश्त वादीगण के पूर्वजो व वादीगण का रहा है तथा अबाध रूप से निरन्तर चला आ रहा है, लेकिन राजस्व कर्मचारीगण वादीगण के हितो व अधिकारो को चुनौती देने से बमुकाम धनकोली में उत्पन्न हुआ, जो श्रीमान न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, तथा वाद अन्दर मयाद है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने अपनी साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया, जो पीडब्ल्यु –1 है। वादी ने अपने वाद से सम्बन्धित विभिन्न दस्तावेज पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादी ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम धनकोली के खसरा संख्या 1133 रकबा 1.6100 हैक्टर में से उतरी पश्चिमी हिंस्से की 0.0160 हैक्टर भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **07.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:43 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

नोट:- निर्णय के पृष्ठ सं. 01 में 0.0180 के स्थान पर 0.0080 व निर्णय के पृष्ठ सं. 2 की प्रथम लाईन में 0.160 के स्थान पर 0.0160 पढ़ा व समझा जावे। दिनांक:- 29/7/22

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः-- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्याः 259/2022 दायर दिनाँक 01.07.2022

वादी

1. बदरूदीन पुत्र नाथुस्या, उम्र 65 वर्ष
2. मदारी पुत्र नाथुस्या, उम्र 64 वर्ष,
3. समस्त जाति सांई, निवासी धनकोली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **07.07.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी. मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट, रणजीत बलारा एडवोकेट वादीगण की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम धनकोली के खसरा संख्या 1133 रकबा 1.6100 हैक्टर में से उतरी पश्चिमी हिंस्से की 0.0160 हैक्टर भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **07.07.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान					

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीक का जाय डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक:- 29/7/22

नोट:- निर्णय के पृष्ठ सं. 01 में 0.0180 के स्थान पर 1.0080 तथा निर्णय के पृष्ठ सं. 02 की 15वीं लाईन में 0.160 के स्थान पर 0.0160 पढ़ा व समझा जावें

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:43:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner